प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्रमांक 4870/2004

याचिकाकर्ता - काशिफ मोहम्मद

बनाम

उत्तरवादीगण - भारत संघ और अन्य

.....

उपस्थित:

श्रीमती फौजिया मिर्ज़ा अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से ।

सुश्री शर्मिला सिंघल, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से।

सुश्री सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से।

श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से ।

उत्तरवादी क्रमांक 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

आदेश

(दिनांक 22 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने 'उत्प्रेषण' रिट की मांग की है, जिसमें दिनांक 10-06-2003 (पी-10) के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है और साथ ही याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय श्री नूर मोहम्मद की मृत्यु नगर पालिक निगम, जगदलपुर के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर सेवाकाल के दौरान हुई थी। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु काफी समय पहले हुई थी (याचिकाकर्ता की ओर से

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता स्वर्गीय श्री नूर मोहम्मद की मृत्यु की सही तिथि बताने की स्थिति में नहीं हैं)। उनकी मृत्यु पर, याचिकाकर्ता की माता, श्रीमती सफीना फरहत को अनुकंपा के आधार पर राजस्व मुहर्रिर के पद पर नियुक्ति दी गई थी। उनकी भी मृत्यु दिनांक 6-7-1997 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, मृतक पिता की दूसरी पत्नी, अर्थात याचिकाकर्ता की सौतेली माँ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन खारिज होने पर, इस न्यायालय में एक रिट याचिका, क्रमांक 2987/1999 दायर की गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 10-09-2001 (पी-5) के आदेश द्वारा याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया, साथ ही यह टिप्पणी की कि याचिका वापस लेने का आदेश रिट याचिकाकर्ता के पुत्र के मामले पर विचार करने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। वर्तमान याचिकाकर्ता, रिट याचिका क्रमांक 2987/1999 के याचिकाकर्ता का पुत्र है। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे यहाँ चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सफीना फरहत पर आश्रित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, जिन्हें उनके पति (जो याचिकाकर्ता के पिता थे) की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर राजस्व मुहर्रिर के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. अब इस याचिका में विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता की माता, जिन्हें मृतक पति की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, के पास उस पद पर (अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कराने का) अधिकार है।

5. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है और यह एक 'बैक डोर एंट्री' है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एक अन्य बनाम हाकिम सिंह'**[1] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

---

1 (1997) 8 SCC 85

"8. सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों का नियम यह है कि वे योग्यता (मेरिट) के आधार पर और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होनी चाहिए। यह वह सामान्य मार्ग है जिसके द्वारा कोई भी सार्वजनिक रोजगार प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, जैसा कि प्रत्येक नियम के अपवाद हो सकते हैं, उक्त नियम के भी कुछ अपवाद हैं जो कुछ आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए विकसित किए गए हैं। ऐसे ही एक अपवाद के अनुसार, मृतक कर्मचारी के शोक संतप्त परिवार को उसके आश्रितों में से किसी एक को रिक्त पद पर समायोजित करके राहत प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य उस परिवार को सहायता प्रदान करना है जो अपने एकमात्र कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण अचानक आर्थिक संकट में डूब गया है। इस न्यायालय ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि ऐसी सुधारात्मक अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य को सार्वजनिक रोजगार में भर्ती के वैकल्पिक माध्यम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए बोर्ड द्वारा सृजित एक 'ग्रहणाधिकार' के रूप में माना होगा। यदि मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य उसकी मृत्यु के चौदह वर्ष बाद तक अपना गुजारा कर सकते हैं, तो उसका कोई विधिक उत्तराधिकारी इस प्रकार दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता मानो यह उत्तराधिकार के अधिकार के आधार पर 'वंशानुक्रम' की कोई श्रेणी हो। इस प्रावधान के उद्देश्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य परिवार को उस अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने के लिए सहायता प्रदान करना है, जो उसके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण आश्रितों पर आ पड़ा है।"

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'राज्य जम्मू और काश्मीर एवं अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर**[2] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

2 (2006) 5 SCC 766

"11. ...यह सुस्थापित है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, शासन या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उन सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए जो आगे आकर आवेदन कर सकें और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह संविधान के **अनुच्छेद 14** के अनुरूप है। सार्वजनिक पद पर नियुक्ति प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परिस्थितियाँ विवश करने वाली न हों, जैसे कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और उस आघात के कारण परिवार के पीड़ित होने की संभावना। एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और एक लंबी अवधि बीत चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम को "अलविदा" कहने और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक व्यक्ति पर उपकार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. '**हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी**' के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक का दावा इस आधार पर होता है कि वह मृतक कर्मचारी पर आश्रित था। कड़ाई से देखा जाए तो इस दावे को संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 की कसौटी पर यथावत नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, ऐसे दावे को उस कर्मचारी के परिवार में आए अचानक संकट के आधार पर उचित और स्वीकार्य माना जाता है जिसने राज्य की सेवा की थी और सेवाकाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि अधिकारियों के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाना या ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी करना आवश्यक है जो अनुच्छेद 14 और 16 की परीक्षा पर खरे उतर सकें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।"

8. अतः उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विरासत के अधिकार के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, चूँकि उनकी माता की नियुक्ति स्वयं (तकनीकी रूप से) असंवैधानिक थी और उनका उस पद पर कोई (स्थायी) अधिकार नहीं था, इसलिए आगे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अवैध और असंवैधानिक होगी।

9. उपरोक्त कारणों से, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**